

पत्रांक-5/वि.1-11/2015...../

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

संकल्प

विषय:- झारखण्ड राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं पदाधिकारियों को यू0जी0सी0 पैकेज के अनुरूप छठ पुनरीक्षित वेतनमान एवं सेवा शर्त की स्वीकृति में संशोधन के संबंध में।

निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-1188 दिनांक-20.11.2010 के विरुद्ध Federation of University Retired Teacher Association of Jharkhand के ज्ञापांक-शून्य दिनांक-25.11.2010 के द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के सेवानिवृत्त पेंशनधारी शिक्षकों को दिनांक-01.01.2006 से यू0जी0सी0 से अनुशंसित वेतनमान पर परिनियम अनुसार राज्य सरकार के पेंशनधारी कर्मचारियों को देय पेंशन, ग्रेच्युटी आदि के अनुरूप ही आर्थिक लाभ का भुगतान किया जाय।

2. Federation के द्वारा इस ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है कि कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-3280 दिनांक-07.11.2012 की कंडिका-7 में उल्लेखित प्रावधान द्वारा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त पेंशनधारियों को संशोधित पेंशनादि (शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों/वैज्ञानिकों/तत्संबंधी पदाधिकारियों एवं शिक्षकेत्तर/गैर-शिक्षक संवर्ग के कर्मियों को क्रमशः संकल्प ज्ञापांक-3769 दिनांक-18.12.2010 एवं पत्रांक-3031 दिनांक-02.09.2011 के द्वारा दी गयी छठे वेतन की स्वीकृति के आलोक में) का वास्तविक लाभ राज्य सरकार के कर्मियों के भांति दिनांक-01.01.2006 से ही स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. Federation के आवेदन पर मंत्रिपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु वित्त विभाग द्वारा निम्न परामर्श दिया गया:-

“विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षकों एवं पदाधिकारियों को पेंशन का लाभ, जो वैचारिक रूप से दिनांक-01.01.2006 से एवं वास्तविक लाभ दिनांक-01.04.2010 से अनुमान्य किया गया है” को समरूपता लाने के उद्देश्य से संशोधित करते हुए पेंशन का लाभ यू0जी0सी0 की भांति दिनांक-01.01.2006 से प्रभावी किया जाय।

4. दिनांक-01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त 1195 शिक्षकों को छठे वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप पेंशन का लाभ प्राप्त हो सके, इस उद्देश्य से यू0जी0सी0 के अनुशंसा के अनुरूप झारखण्ड के शिक्षक एवं पदाधिकारियों को भी पेंशन का वास्तविक लाभ 01.01.2006 के प्रभाव से दिया जाना है।

5. Federation के आवेदन एवं वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में संकल्प ज्ञापांक-1188 दिनांक-20.11.2010 की कंडिका-19 में अंकित प्रावधान को निरस्त करते हुए कंडिका-19 को निम्नवत् रूप में संस्थापित किया जाता है:-

“विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के सेवानिवृत्त पेंशनधारी शिक्षकों के संबंध में दिनांक-01.01.2006 से यू0जी0सी0 द्वारा अनुशंसित वेतनमान के आधार पर निर्धारित पेंशन का वास्तविक लाभ दिनांक-01.01.2006 से देय होगा।”

6. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक-24.02.2022 की बैठक के मद संख्या-01 में इसकी स्वीकृति दी गयी है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(के0 के0 खण्डेलवाल)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-5/वि.1-11/2015...../

राँची, दिनांक-...../

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय (सरकारी प्रेस), झारखण्ड, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(के0 के0 खण्डेलवाल)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-5/वि.1-11/2015...../

राँची, दिनांक-...../

प्रतिलिपि:-नोडल पदाधिकारी, ई-ऑफिस परियोजना, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

R. Rayhan
2/3/22

(के0 के0 खण्डेलवाल)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

R. Rayhan